न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर।
पीठासीन अधिकारी: ज्योति सिंह मीना, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या:- 1858/2024
सी.आई.एस. संख्या:- 1858/2024

राजस्थान सरकार

................अभियोगी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र शिवचरन, उम्र करीब 27 साल
2. आकाश पुत्र शिवचरन, उम्र करीब 30 साल
3. गौरव उर्फ गब्बर पुत्र रामचरन, उम्र करीब 35 साल
4. लोकेन्द्र सागर पुत्र राजवीर सागर, उम्र करीब 26 साल
   (दौराने विचारण फौत......कार्यवाही ड्रोप)
5. सतीश पुत्र हरीलाल सागर, उम्र करीब 50 साल
6. दिलीप पुत्र रामचरन उम्र करीब 44 साल निवासीगण सागरपाडा थाना कोतवाली, जिला धौलपुर।

..............अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 125, 352, 190, 191(2)
भारतीय न्याय संहिता

उपस्थिति:-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री मुरारीलाल अभियुक्तगण की ओर से।

- निर्णय - **दिनांक 23.04.2026**

1. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त लोकेन्द्र सागर की दौराने विचारण फौत हो जाने से दिनांक 09.04.2026 को उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मजरूब अजीम खान ने एक तहरीरी रिपोर्ट थानाधिकारी थाना कोतवाली धौलपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनांक 05.08.2024 को समय करीब 08-09 बजे मेरा भाई मुजीम अम्बेडकर पार्क पर आकाश और गब्बर उर्फ गौरव से जुआ को पकडवाने को लेकर मुंह वाद हो गया था तो वहां से मेरा भाई मस्जिद पर आ गया जहां हम लोग आपस में समझाइश कर रहे थे तो उतने

में ही अर्जुन, गब्बर, आकाश, आकाश सागर, रोशन उर्फ कृष्ण, सतीश, मिथुन, लोकेन्द्र दिलीप उर्फ बाबा एकराय होकर आये और गाली-गलौच कर ईंट पत्थरों व थाप-थप्पडों से मारपीट करने लगे जिसमें घायल मुजीम, सोएब, सहबाज उर्फ मुख्त्यार के चोटें आई हैं। इतने में काफी लोग आ गये जिन्होंने बीच-बचाव करा दिया व घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया इलाज कराने के लिये। रिपोर्ट करता हूं कानूनी कार्यवाही की जावे.....आदि। उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली, धौलपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 386/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 125, 352 भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया और बाद अनुसंधान अभियुक्तगण अर्जुन, आकाश, गौरव उर्फ गब्बर, लोकेन्द्र सागर, सतीश व दिलीप के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 190, 191(2), 115(2), 126(2), 125, 352 भारतीय न्याय संहिता का प्रमाणित मानते हुये आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्तगण अर्जुन, आकाश, गौरव उर्फ गब्बर, सतीश व दिलीप को अपराध अन्तर्गत 190, 191(2), 115(2), 126(2), 125, 352 भारतीय न्याय संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर आरोप से इंकार किया और अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.1 अजीम, पी.डब्लू.2 मुख्त्यार, पी.डब्लू.3 मुजीम, पी.डब्लू.4 जाविर व पी.डब्लू.5 अकरम के बयान लेखबद्ध कराये गये और दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी.2, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.3, पुलिस बयान गवाह अजीम खान प्रदर्श पी.4, चोट प्रतिवेदन आहत मुख्त्यार प्रदर्श पी.5, पुलिस बयान गवाह मुख्त्यार प्रदर्श पी.6, चोट प्रतिवेदन आहत मुजीम प्रदर्श पी.7, पुलिस बयान गवाह मुजीम प्रदर्श पी.8, चोट प्रतिवेदन आहत जाविर उर्फ जावेद प्रदर्श पी.9 व पुलिस बयान गवाह जाविर उर्फ जावेद प्रदर्श पी.10 को प्रदर्शित कराया गया तथा प्रतिरक्ष साक्ष्य पेश करने से इंकार किया।

5. प्रकरण के इसी स्तर पर परिवादी/आहतगण अजीम, मुख्त्यार, मुजीम, जाविर व अकरम ने अभियुक्तगण अर्जुन, आकाश, गौरव उर्फ गब्बर, सतीश व दिलीप के पक्ष में धारा 115(2), 126(2), 352 सपठित धरा 190 भारतीय न्याय संहिता के आरोप में राजीनामा पेश किया जो बाद जांच उनकी पुश्त पर तस्दीक किया गया तथा अभियुक्तगण अर्जुन, आकाश, गौरव उर्फ गब्बर, सतीश व दिलीप को अपराध अंतर्गत

धारा 115(2), 126(2), 352 सपठित धारा 190 भारतीय न्याय संहिता के आरोप में जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया। अब अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 191(2), 125 सपठित धारा 190 भारतीय न्याय संहिता के आरोप शेष हैं।

6. अभियुक्तगण अर्जुन, आकाश, गौरव उर्फ गब्बर, सतीश व दिलीप का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत परीक्षण किया गया तो अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुये उन्हें झूंठा फंसाये जाने का कथन किया और साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया।

7. बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः उन्हें दोषसिद्ध किया जाकर कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे। इसके विपरीत उक्त तर्को का विरोध करते हुए अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किया कि प्रकरण में समस्त गवाह अभियोजन कहानी से पक्षद्रोही घोषित हुये हैं तथा इस प्रकरण में राजीनामा हो चुका है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अतः उन्हें दोषमुक्त घोषित किया जावे।

न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु निम्न है:-

1. ''आया अभियुक्तगण ने दिनांक 05.08.2024 को समय रात्रि करीब 9 बजे या उसके लगभग स्थान नूरानी मस्जिद के पास सागरपाडा धौलपुर में अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी अजीम खान के भाई मुजीम, सोएब व मुख्त्यार के साथ बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित करते हुये उनके साथ मारपीट कर उनका मानव जीवन संकटापित किया ? ''

2. ''यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड के पात्र हैं ?''

8. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। उक्त अवधार्य बिन्दु के सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अवलोकन किये जाने पर गवाह पी.डब्लू.1 अजीम खान ने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि आज से लगभग 2 साल पहले आपसी कहासुनी को लेकर अर्जुन, आकाश व इनके साथ 5-6 अन्य लोगों ने जावेद, मुख्तार व मुजीम की थाप-थप्पडों से मारपीट की थी जिसकी मैंने रिपोर्ट कराई थी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.2 व नक्शा

मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.3 तीनों पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। हमारे ऊपर किसी ने पथराव नहीं किया। यह गवाह अभियोजन कहानी से पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुआ है और जिरह अभियोजन अधिकारी में पुलिस बयान प्रदर्श पी.4 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इंकार करता है।

9. गवाह पी.डब्लू.2 मुख्त्यार ने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि आज से लगभग 2 साल पहले आपसी कहासुनी को लेकर अर्जुन, आकाश व इनके साथ 5-6 अन्य लोगों ने मेरी, जावेद व मुजीम की थाप-थप्पडों से मारपीट की थी। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.3 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.5 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। हमारे ऊपर किसी ने पथराव नहीं किया। यह गवाह अभियोजन कहानी से पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुआ है और जिरह अभियोजन अधिकारी में पुलिस बयान प्रदर्श पी.6 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इंकार करता है।

10. गवाह पी.डब्लू.3 मुजीम ने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि आज से लगभग 2 साल पहले आपसी कहासुनी को लेकर अर्जुन, आकाश व इनके साथ 5-6 अन्य लोगों ने मेरी, जावेद व मुख्त्यार की थाप-थप्पडों से मारपीट की थी। मेरे चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.7 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। हमारे ऊपर किसी ने पथराव नहीं किया। यह गवाह अभियोजन कहानी से पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुआ है और जिरह अभियोजन अधिकारी में पुलिस बयान प्रदर्श पी.8 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इंकार करता है।

11. गवाह पी.डब्लू.4 जाविर उर्फ जावेद ने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि आज से लगभग 2 साल पहले आपसी कहासुनी को लेकर अर्जुन, आकाश व इनके साथ 5-6 अन्य लोगों ने मेरी, मुजीम व मुख्त्यार की थाप-थप्पडों से मारपीट की थी। मेरे चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.9 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। हमारे ऊपर किसी ने पथराव नहीं किया। यह गवाह अभियोजन कहानी से पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुआ है और जिरह अभियोजन अधिकारी में पुलिस बयान प्रदर्श पी.10 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इंकार करता है।

12. गवाह पी.डब्लू.5 अकरम ने अपने सशपथ बयानों में यह बताया कि नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.3 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं।

13. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट आता है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी/आहतगण अजीम, मुख्त्यार, मुजीम, जाविर व अकरम ने अभियुक्तगण अर्जुन, आकाश, गौरव उर्फ गब्बर,

सतीश व दिलीप के पक्ष में धारा 115(2), 126(2), 352 सपठित धरा 190 भारतीय न्याय संहिता के आरोप में राजीनामा पेश किया जो उनकी पुश्त पर तस्दीक किया गया हैं तथा अभियुक्तगण अर्जुन, आकाश, गौरव उर्फ गब्बर, सतीश व दिलीप को अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 352 सपठित धरा 190 भारतीय न्याय संहिता के आरोप में जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया है। अब अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 191(2), 125 सपठित धारा 190 भारतीय न्याय संहिता के सम्बन्ध में विवेचन किया जाना है। इस क्रम में प्रकरण का परिवादी गवाह पी.डब्लू.1 अजीम खान अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण अर्जुन, आकाश व 5-6 अन्य लोगों द्वारा जावेद, मुख्त्यार व मुजीम की थाप थप्पडों से मारपीट किये जाने का कथन करता है परंतु अभियुक्तगण द्वारा विधि-विरूद्ध जमाव का गठन करते हुये हिंसा या बलवा कारित करने व उनकी मारपीट करते हुये मानव जीवन संकटापित करने के सम्बन्ध में यह गवाह कोई कथन नहीं करता है। यह गवाह अभियोजन कहानी से पूर्णतः पक्षद्रोही हुआ है और जिरह अभियोजन में पुलिस बयान प्रदर्श पी.4 पुलिस को देने से इंकार करता है और जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में जाहिर करता है कि उनका मुलजिमान से राजीनामा हो गया है। वे आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण के आहतगण साक्षी पी.डब्ल्यू.2 मुख्त्यार, पी.डब्ल्यू.3 मुजीम व पी.डब्ल्यू.4 जाविर उर्फ जावेद भी प्रकरण के परिवादी के सदृश्य अभियुक्तगण अर्जुन, आकाश व 5-6 अन्य लोगों द्वारा थाप-थप्पडों से मारपीट किये जाने का कथन करते हैं। उक्त सभी गवाह अभियोजन कहानी से पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुये हैं और जिरह अभियोजन अधिकारी में अपने-अपने पुलिस बयान पुलिस को देने से इंकार करते हैं तथा जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में मुलजिमान से उनका राजीनामा होना स्वीकार करते हैं। गवाह पी.डब्ल्यू.5 अकरम नक्शा मौका घटनास्थल का औपचारिक साक्षी है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाये गये समस्त गवाह अभियुक्तगण द्वारा विधि-विरूद्ध जमाव का गठन कर हिंसा या बलवा कारित करने व आहतगण की मारपीट करने से मानव जीवन संकटापित करने के संबंध में एकमात्र कथन नहीं करते हैं तथा प्रकरण में राजीनामा होना जाहिर करते हुये आगे कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का कथन करते हैं जिससे अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूरी तरह असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 05.08.2024 को समय रात्रि करीब 9 बजे या उसके लगभग स्थान नूरानी मस्जिद के पास सागरपाडा धौलपुर में अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी अजीम खान के भाई मुजीम, सोएब व

मुख्त्यार के साथ बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित करते हुये उनके साथ मारपीट कर उनका मानव जीवन संकटापित किया। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को उन पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 191(2), 125 सपठित धारा 190 भारतीय न्याय संहिता के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- आदेश -

14. परिणामतः अभियुक्तगण अर्जुन पुत्र शिवचरन, उम्र करीब 27 साल, आकाश पुत्र शिवचरन, उम्र करीब 30 साल, गौरव उर्फ गब्बर पुत्र रामचरन, उम्र करीब 35 साल, सतीश पुत्र हरीलाल सागर, उम्र करीब 50 साल, दिलीप पुत्र रामचरन उम्र करीब 44 साल समस्त निवासीगण सागरपाडा थाना कोतवाली, जिला धौलपुर को उन पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 191(2), 125 सपठित धारा 190 भारतीय न्याय संहिता के आरोप में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता हैं। उक्त अभियुक्तगण को दिनांक 09.04.2026 को उन पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 352 सपठित धारा 190 भारतीय न्याय संहिता के आरोप में जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण की न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में पेश किये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में अभियुक्त लोकेन्द्र सागर की दौराने विचारण फौत हो जाने से दिनांक 09.04.2026 को उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है। प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत का बाद गुजरने मियांद अपील, अपील न होने की सूरत में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(ज्योति सिंह मीना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर।

15. आदेश आज दिनांक 23.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्योति सिंह मीना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.24 12:43:36 IST